न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 26/2010/अपील

1.	भंवर लाल	पुत्रगण गुल्लाराम जाति माली निवासीगण समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर (राज.)
2.	मंगलचन्द	
3.	रामनिवास	
4.	श्यामलाल	

अपीलान्टस्

बनाम

1.	महावीर सिंह पुत्र किशनाराम	जाति जाट निवासी जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर
2.	रूघाराम पुत्र हेमाराम	जाति जाट निवासीगण बिंज्यासी तहसील व जिला सीकर
3.	रामेश्वर लाल पुत्र पोखरमल	
4.	तहसीलदार सीकर	
5.	अशोक कुमार पुत्र लिखमाराम	जाति जाट, निवासी ग्राम भढ़ाढ़र, तहसील धोद जिला सीकर
6.	महावीर सिंह पुत्र सुरजाराम	जाति जाट, निवासी नेहरों की ढ़ाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
7.	बृजेन्द्र सिंह बिजारणियां पुत्र दानाराम	जाति जाट, निवासी ग्राम बीबीपुरा बड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री महेश कुमार जांगिड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दौलत सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट विरूद्व
नामान्तरकरण संख्या 432 दिनांक 05.04.2010 द्वारा तहसीलदार सीकर

निर्णय

सुनवाई दिनांक : सितम्बर, 2017 दिनांकः 06 नवम्बर, 2017

1. अपीलान्टस् ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अपीलांट के पैतृक खाते कब्जे काश्त की बारानी कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 627/459 रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 628/459 रकबा 0.31 हैक्टर,

खसरा नम्बर 460 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 629/462 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 630/462 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.08 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 464 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.05 हैक्टर जिनके नये बट्टा नम्बर 728/463 रकबा 0.03 हैक्टर व 727/462 रकबा 0.11 हैक्टर बने हैं तथा चाह जाव खसरा नम्बर 330 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्ब्र 409 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.18 कुल किता 6 कुल रकबा 2.17 हैक्टर राजस्व ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। डालूराम की विरासत में खाता गलत रूप से गुल्लाराम के तस्दीक हो जाने तथा गुल्लाराम द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्ठा करने पर अपीलांट द्वारा एक दावा बाबत उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा सहायक कलक्टर सीकर के यहां बउनवानी भंवरलाल बनाम गुल्लाराम आदि दावा संख्या 71/87 पेश किया। इस समय भूप्रबन्ध कार्यवाही चालू हो जाने से गुल्लाराम अकेले के हक में स्वीकृति नामान्तरण त्रुटि को स्वीकार करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश किया जिस पत्रावली संख्या 193/86 कायम की जाकर गुल्लाराम ने अपनी सगी बहिनों चन्दा, मणि, ज्यानकी का पैतृक हक हिस्सा स्वीकार कर बारानी कृषि भूमि 458, 627/459, 628/459, 460/629, 630/462, 463, 464 कुल किता 8 कुल रकबा 4.05 हैक्टर अपनी बहिनों को दे दी तथा चाही जाव की जमीन खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 अपने हिस्से में रख ली। इस कारण गुल्लाराम के समान ही उसकी बहिनें भी खातेदार हो गई इसलिए उन्हें दावे में पक्षकार बनाया गया। तादौरान दावा के पक्षकारान में राजीनामा होने पर मुताबिक राजीनामा गुल्लाराम के ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित चाही आराजी में जमीन खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 भूमि हिस्से में आई तथा ग्राम समर्थपुरा में स्थित बारानी फसली कृषि भूमि 458, 627/459, 628/459, 460/629, 630/462, 463, 464 कुल किता 8 कुल रकबा 4.05 हैक्टर चन्दा, मणि, ज्यानकी के हिस्से में आने का राजीनामा न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक कीर दिया गया। लेकिन सहायक कलक्टर सीकर द्वारा राजीनामे के विपरीत जाकर इस बाबत कोई ध्यान दिये बिना कि गलत रूप से गुल्लाराम को उनके हिस्से से भी ज्यादा चाही भूमि ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 राजीनामे में मिल चुकी है। सहायक कलक्टर सीकर ने राजीनामे पर ध्यान दिये बिना गलत रूप से गुल्लाराम को बारानी भूमियों में से 1/5 हिस्से की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा गूल्लाराम ने बिना कोई प्रतिफल लिए अपनी पारिवारिक नाराजगी के चलते आरम्भतः शून्य विक्रय पत्र दिनांकित 26.10.1998 को सरकार द्वारा अवाप्त शुदा भूमियों सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में निष्पादित करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 23.10.1998 के तहत भरा गया नामान्तरण संख्या 141 जिला कलक्टर द्वारा अपील संख्या 37/99 बउनवानी सहायक अभियंता सार्वजनिक विभाग सीकर

बनाम गुल्लाराम आदि दिनांक 05.12.2000 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश की संभागीय आयुक्त के यहां अपील संख्या 1/2001 बउनवानी महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 18.01.2001 को खारिज कर दी गई तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिविजन संख्या 8/2003 (11/2001) महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 26.05.2005 को खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण निरस्त होने का आदेश आज भी वैध एंव प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट ने अपने हक अधिकार सक्षम न्यायालय से तय करवाये बिना राजस्व मण्डल अजमेर पीठासीन अधिकारियों व अपीलांट को मुगालता देकर निर्णय पारित करवा लिया जिसकी रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के यहां विचाराधीन है। अपीलांट को हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार सीकर को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अन्यथा प्रभावित कर अपने हक में नामान्तरण संख्या 432 तस्दीक करवा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटस् इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आये हैं।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर श्री दौलत सिंह़ व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 एंव 6 ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 7 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलांटस् ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि डालूराम की विरासत का खाता गलत रूप से गुल्लाराम के नाम तस्दीक हो जाने पर गुल्लाराम के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 20.12.1971 त्रुटि को स्वीकार करते हुए गुल्लाराम ने अपनी सगी बहिनों चन्दा, मणि, ज्यानकी का पैतृक हक हिस्सा स्वीकार कर राजीनामा होन पर नामान्तरकरण खोला गया। गुल्लाराम द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.10.1998 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में विक्रय कर निष्पादित करवा दिया। उक्त आदेश की संभागीय आयुक्त के यहां अपील संख्या 1/2001 बउनवानी महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 18.01.2001 को खारिज कर दी गई तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिविजन संख्या 8/2003 (11/2001) महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 26.05.2005 को खारिज कर दिया गया। जिसकी रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जसपुर पीठ में विचाराधीन है। उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने का आदेश आज भी वैध एंव प्रभावी है। नामान्तरकरण संख्या 432 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को अनुचित लाभ उठाने देने के लिए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा सर्वेशीट के विपरीत नामान्तरकरण संख्या 432 की पुश्त पर एक नजरी नक्शा बनाया गया जिसमें खसरा नम्बरों का उलटफेर कर स्थान परिवर्तित कर दिया गया है।

नामान्तरकरण संख्या 432 तस्दीक करने से पूर्व लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स की कोई पालना नही की गई है न ही कब्जे कोई जांच की गई मौके पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलाधीन भूमियों पर शुरू से ही अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 432 दिनांक 05.04.2010 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

5. रेस्पोडेन्टस् 1 से 3 के योग्य अभिभाषक का मुख्य कथन था कि सम्बन्धित खसरा नम्बरों में से कुछ को पीडब्ल्युडी ने एक्वायर कर लिया था, अपीलांट व उसके पिता ने मुआवजा ले लिया था, मुआवजा लिए हुए जमीनों को हमें बेचा गया, पीडब्ल्युडी ने हमारे खिलाफ मुकदमें किये, अपीलांट ने भी मुकदमें किये, सिविल कोर्ट का फैसला हुआ, फैसले के मुताबिक तहसीलदार सीकर ने मौके पर जाकर हमें कब्जा दिया, अपीलांटस ने इस फैसले से पहले ही मुकदमा रेवेन्यु कोर्ट में किया और सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया व सिविल न्यायालय के फैसले के खिलाफ रेवेन्यु अधिकारियों को मुगालता में रखकर नामान्तरकरण करा लिया उस पर ऋण ले लिया, हमें ज्ञात होने पर हमने रेवेन्यु बोर्ड में अपील की, रेवेन्यु बोर्ड में इनका नामान्तकरण खारिज हुआ, जमीन हमारे नाम से किये जाने के आदेश किये, आदेशों का पालन तहसीलदार सीकर ने किया मौके पर जाकर नपती कर नामान्तकरण भर दिया। अपीलांट ने राज. उच्च न्यायालय में अपील की जो खारिज हो गयी और अपीलांट ने न्यायालय एसडीओ से स्टे ले लिया उसमें इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया, रेवेन्यु बोर्ड ने स्टे को खारिज कर दिया और रेस्पोडेन्ट ने जमीन बेच दी तथा सारे न्यायालयों में फैसले इसके खिलाफ हो गये। इनका मौके पर कोई कब्जा नहीं है। नामान्तरकरण जिस डिक्री के आधार पर खुला है, वह डिक्री आज भी कायम है, तब तक डिक्री पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यह नामान्तरकरण खारिज नहीं किया जा सकता है। जिससे रेस्पोडेन्ट के पक्ष में डिक्री के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के योग्य अभिभाषक का मुख्य कथन था कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित नहीं किया गया है कि अपीलांट ने आवेदन किन कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।अपीलांट ने अपील संख्या 25/2011 नामान्तरकरण संख्या 464 दिनांक 25.04.2011 के विरूद्व प्रस्तुत किये जाने, बाद में उपरोक्त प्रकरण में अपील में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय किये जाने, तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 5303/2010 का निर्णय दिनांक 17.11.2016 को पारित किये जाने, तत्सम्बन्धी अभिकथन जिस प्रकार से वर्णित है, तथ्यात्मक हैं। अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश की गलत व्याख्या की है। अपीलांट ने प्रस्तुत आवेदन में गलत रूप से यह अंकित किया है कि

तहसीलदार सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 431, 432, 464 व सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 1183 दिनांक 19.04.2010 व 23.04.2010 राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 26.03.2010 अपास्त हो जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा अपील संख्या 53/03 में दिनांक 17.11.2016 को पारित आदेश के अनुसरण में अपील स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। अपीलांट ने उपरोक्त समस्त अभिकथन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के फैसले की गलत कानूनी व्याख्या करते हुए वर्णित किया है तथा गलत आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किया प्रार्थनीय है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया जो कि निम्नानुसार है:-

(1) अपीलान्ट द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर को प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई रिकॉर्ड रिपोर्ट दिनांक 28.02.1986 के अनुसार गुल्लाराम पुत्र डालूराम के नाम खसरा नम्बर 459, 460, 462, 463, 464 एवं 458 कुल किता 6 रकबा 4.05 है. एवं खसरा नम्बर 330, 331, 332, 408, 409, 411 कुल किता 6 रकबा 2.17 है. दर्ज थे। डालूराम की मौत होने के बाद उक्त भूमि रकबा 4.05 है. का बंटवारा वाद बाबत (1) भंवर लाल (2) मंगल चन्द (3) रामनिवास (4) श्याम लाल एवं (5) गुल्लाराम के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज होने का आदेश दिनांक 26.05.1994 को सहायक कलक्टर (मु.) सीकर द्वारा पारित कर डिक्री किया गया।

(2) न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर द्वारा वाद संख्या 71/87 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.1994 के विरूद्व भवंर लाल वगै. द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2003 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 459, 459, 460, 462, 463 व 464 के सम्बन्ध में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.04.1994 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 26.05.1994 को निरस्त कर वादीगण/अपीलान्ट का वाद इस प्रकार डिक्री किया गया है कि ''वादीगण भवंर लाल, मंगलचन्द, रामनिवास एवं श्यामलाल पुत्रगण गुल्लाराम उर्फ गुलाब चन्द को विवादित भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 458, 459 460, 462, 463 व 464 कुल किता 6 रकबा 4.05 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है''। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमियों में गुल्लाराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्से के इन्द्राज को हजफ करने के आदेश दिये जाते है।

(3) राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.12.2003 के विरूद्व द्वितीय अपील महावीर सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय दिनांक 26.03.2010 को अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी सीकर का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2003 निरस्त करते हुए सहायक कलक्टर सीकर द्वारा पारित प्राथमिक

Web Copy Not Official

डिक्री 23.04.1994 एवं निर्णय अन्तिम डिक्री दिनांक 26.05.1994 को यथावत रखा गया है।

(4) राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 24.12.1988 के कम में भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निमार्ण विभाग भवन व पथ वृत 4 जयपुर के द्वारा गुल्ला राम पुत्र डालूराम के नाम से जारी संशोधित नोटिस के अनुसार ग्राम समर्थपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 में से 0.01 है, ख.न. 459 में से 0.71 है., ख.न. 460 में से 0.14 है. ख.न. 462 में से 0.25 है. ख.न. 463 में से 0.05 है. व ख.न. 464 में से 0.08 है. कुल रकबा 1.24 है. अवाप्त किये जाने का उल्लेख है।

(5) फोटो प्रति विकय पत्र दिनांक 23.10.1998 के अनुसार गुलाब चन्द उर्फ गुल्लाराम द्वारा भूमि ख.न. 463 रकबा 0.08है व ख.न. 462/1 रकबा 0.36 है. कुल रकबा 0.44 है. का बेचान महावीर सिंह, रूघाराम व रामेश्वर लाल को किया गया है। उक्त विकय पत्र दिनांक 23.10.1998 के आधार पर तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 12.11.1998 के विरूद्व अपील सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के यहॉ प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 05.12.2000 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 141 निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्व महावीर सिंह वगै. द्वारा अपील न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2001 के अनुसार उक्त अपील खारिज की गई है। संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 18.01.2001 के विरूद्व महावीर सिंह वगै. द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2005 में लिखा है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जो निर्णय पारित किया है उसके किसी प्रकार की क्षैत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नही पाते। अतः उनमें हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। फरस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती हैं।

(6) माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2005 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 462 की अवाप्तशुदा 0.36है. भूमि में से 0.25 है. व खसरा नम्बर 463 की 0.08 है. भूमि में से 0.05 है. भूमि अवाप्त की गई है और इस अवाप्तशुदा भूमि की सीमा तक विकयपत्र को सिविल न्यायालय ने निष्प्रभावी किया है। इस द्वष्टि से इस हद तक तो नामान्तरकरण संख्या 141 निरस्तनीय है लेकिन चूंकि दोनों पक्षकारो के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है व अन्य न्यायालयों में भी राजस्व वाद विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में शेष भूमि के सम्बन्ध में भी उचित यही है कि नामान्तरकरण संख्या 141 के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही स्थगित रखी जावें और सिविल न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 28.04.2004 का अन्तिम रूप लेने व अन्य न्यायालय

में उभयपक्ष के मध्य अधिकारों के सम्बन्ध में विवाद का निपटारा होने तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखा जाना ही न्यायोचित है अन्यथा पक्षकारों के मध्य और मुकदमेबाजी बढ सकती है इसी को द्वष्टिगत रखते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार की क्षैत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नही पाते है। अतः उनमें हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के अनुसार राजस्व अधिकारी उसी अनुसार नामान्तरकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते है।

(7) सहायक अभियन्ता सा.नि.विभाग द्वारा दायर वाद संख्या 12/2000 में माननीय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.2004 में अंकित किया है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 डिक्री किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 23.10.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र वादीगण द्वारा अवाप्त की गई भूमि की सीमातक निष्प्रभावी रहेगा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 अवाप्तशुदा भूमि की सीमा तक वादीगण के पक्ष में पंजीयन करवायेगें और उस सीमा तक राजस्व विभाग में वादीगण के हक में अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तरकरण वादीगण अपने पक्ष में करवा सकेगें।

(8) नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 05.04.2010 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई अपील में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2010 के आधार पर ग्राम समर्थपुरा पटवारी हल्का द्वारा भरे जाने पर, बाद जॉच भू.अ.नि. पिपराली के, तहसीलदार सीकर ने स्वीकार किया है।

(9) नामान्तरकरण संख्या 432 दिनांक 05.04.2010 माननीय सिविल न्यायधीश (व.ख.) सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2004 एवं विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1998 के अनुसरण में पटवारी हल्का ग्राम समर्थपुरा द्वारा भरे जाने पर, बाद जॉच भू.अ.नि. पिपराली के, तहसीलदार सीकर ने स्वीकार किया है।

(10) माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.03.2010 के अपील पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय दिनांक 17.11.2016 पारित कर आदेशित किया है किः—

Learned counsel for respondents submit that preliminary decree was not challenged by the petitioners thus challenge to the final decree was not sustainable. The Board of Revenue has considered the issue aforesaid while deciding the appeal.

It is also submitted that Board of Revenue reversed the order passed by the frist revenue court, as it was without providing opportunity of hearing to the private respondents. If interference in the order passed by the Board of Revenus is made, matter may be remanded back to the Revenue Appellate Authority where respondents should also be provided opportunity of hearing.

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

It is agreed by the parties for remand of the case to the Revenue Appellate Authority for afresh decision on all the issues and to provide opportunity of hearing to the private resopndent nos. 4 to 6 also.

In view of above, impugned order passed by the Board of Revenus is set aside so as order passed by the revenue Appellate Authority with remand of the case to the Revenue Appellate Authority to hear and pass fresh order. It would obviously be after providing oppourunity of hearing to the private respondent nos. 4 to 6 The parties are directed to remain present before the Revenue Appellate Authority on 5Th January, 2017 The Writ Petition stands disposed of with the afoesaid

(11) चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व अपील अधिकारी को पुन विचार हेतु प्रतिप्रेषित किया है एवं पक्षकारान के मध्य अन्य न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन है, जिनके निस्तारण से ही पक्षकारान के हक व हिस्सों का निस्तारण होगा। नामान्तकरण के जरिये किसी पक्षकार के हक व हिस्सों का निर्धारण नही होता है नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में मात्र एक समरी प्रक्रिया है। अतः अभी इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

8. बिन्दू संख्या 7 के आलोक में अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं तहसीलदार सीकर द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 432 दिनांक 05.04.2010 का यथावत रखा जाता है। सक्षम न्यायालयों से आदेश प्राप्त होने के अनुसार सम्बन्धित राजस्व अधिकारी निर्देशानुसार नामान्तरकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official